कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोवस्त मध्य प्रदेश

क्रमांक 625/10परीक्षा/रा0नि0प्रशि0/2017 ग्वालियर दिनांक 8/3/2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर
भू–अभिलेख
मध्य प्रदेश

विषयः–सीधी भर्ती से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों को 09 माह का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण दिनांक 3 अप्रेल 2017 से आरंभ किये जाने बावत

उपरोक्त विषयानुसार व्यापम परीक्षा मण्डल भोपाल के माध्यम से विभाग में राजस्व निरीक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदो हेतु आयोजित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति कार्यालय आदेश क्रमांक 10 दिनांक 1.8.16 द्वारा जिलो में पदस्थापना किये जाने हेतु नामांकित किये गये है।

2. सीधी भर्ती से नियुक्त राजस्व निरीक्षक के लिए भू–अभिलेख नियमावली के भाग–2 कण्डिका–15 में किसी भी परिवीक्षाधीन राजस्व निरीक्षक को उक्त पद पर तब तक स्थायी नही किया जावेगा। तब तक वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला में निर्धारित प्रशिक्षण /परीक्षा उर्त्तीण नही कर चुका हो। राजस्व निरीक्षक पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले अभ्याथियों को परिवीक्षाधीन अवधि (नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष तक)में राजस्व निरीक्षक पद का विभागीय प्रशिक्षण/परीक्षा उर्त्तीण होने पर ही शासन नीति अनुसार समस्त लाभ प्रदान किये जाने के प्रावधान है।

3. उपरोक्त चयनित उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का विभागीय गतिविधियॉ एवं कार्य कलापों का पर्याप्त ज्ञान/अनुभव नही होने से भू–अभिलेख नियमावली अनुसार सीधी भर्ती से नियुक्त परिवीक्षाधीन राजस्व निरीक्षक पद पर नियुक्त अभ्यथियों के लिये वर्णित 09 माह का विभागीय प्रशिक्षण/परीक्षा आयोजित किया जा रहा है।

4. अतः आपके जिले में पदस्थ सीधी भर्ती से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों को राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर आवंटित की जाकर दिनांक 03 अप्रेल 2017 से 2 जनवरी 2018 **(09 माह)** का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण आरंभ किया जा रहा है जिसका विवरण निम्मानुसार हैः–

क्रमांक	**प्रशिक्षण शाला का नाम**	**प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित जिले का नाम**	**कुल प्रशिक्षणाथियों की संख्या**
1	**2**	**3**	**4**
1	राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर	झावुआ/बालाघाट/शाजापुर/हरदा/मंदसौर/वडवानी/रीवा/खण्डवा/रतलाम/अशोकनगर/गुना/विदिशा/छिंदवाडा/दमोह/ग्वालियर (अन्य जिलो में यदि कोई प्रशिक्षण हेतु शेष है तो उसे भी इस प्रशिक्षण में भेजा जा सकता है)	38

5. अतः आप जिले में सीधी भर्ती से नियुक्त राजस्व निरीक्षकों को उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इस प्रकार भारमुक्त करें कि वे दिनांक 03 अप्रेल 2017 तक संबंधित प्रशिक्षण शाला में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जावे एवं प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी स्थिति में किसी भी राजस्व निरीक्षक को शाला में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नही कराया जावे।

6. प्रशिक्षण संस्थान में फिलहाल छात्रावास की व्यवस्था नही है। प्रशिक्षणार्थियों को अपने निवास की स्वयं व्यवस्था करनी होगी। यदि प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले संस्थान द्वारा उक्त व्यवस्था करली जाती है, तो यह उपलब्ध करा दी जावेगी। इस बावत प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण संस्थान के अनुदेशक श्री लोकेश आहूजा (मो0नं0 9301088901)से सम्पर्क कर सकते है।

7. संबंधित कार्यालय प्रमुख अधीनस्थ कार्यरत राजस्व निरीक्षकों का प्रशिक्षण अवधि में उनका वेतन प्रशिक्षण शाला से उपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर आहरित कर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगें।प्रशिक्षण के दौरान किसी भी राजस्व निरीक्षक को अनिवार्य परिस्थितियों को छोडकर अन्य साधारण परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति नही दी जावें ।प्रशिक्षण की उपस्थिति का प्रतिशत भू–अभिलेख नियमावली में विहित प्रावधानों के निर्धारित प्रतिशत से कम होने पर उन्हें राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नही की जावेगी जिसके लिये संबंधित प्रशिक्षणार्थी जिम्मेदार होगा।

संलग्न सूची

आयुक्त
भू–अभिलेख एवं बन्दोवस्त
मध्य प्रदेश

पृ0कमांक 625 **/10परीक्षा/रा0नि0प्रशि0/2017** **ग्वालियर दिनांक** 8/3/2017
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. उपायुक्त भू–अभिलेख समस्त मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3. प्राचार्य राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

निर्देशः–

(अ) किसी भी प्रशिक्षणार्थी को निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रशिक्षण शाला मे प्रवेश न दिया जावे। निर्धारित अवधि में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार के संबंध में संबंधित जिले एवं इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

(ब) प्रशिक्षण के दौरान किसी भी राजस्व निरीक्षक को अनिवार्य परिस्थितियों को छोडकर अन्य साधारण परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति नही दी जावे।

(स) प्रशिक्षण की उपस्थिति का प्रतिशत भू–अभिलेख नियमावली में विहित प्रावधानों के निर्धारित प्रतिशत से कम होने पर उन्हें राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नही की जावेगी। जिसके लिये संबंधित प्रशिक्षणार्थी जिम्मेदार होगा।

(द) प्रशिक्षण में उपस्थित उम्मीदवारों का उपस्थिति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 30 तारीख तक अनिवार्य रूप से संबंधित जिले को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि संबंधित प्रशिक्षणार्थी का वेतन आहरित किया जा सकें।

4. प्रभारी अधिकारी अनुभाग स्थापना एक/11 भू–प्रबंधन मुख्यालय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

आयुक्त
भू–अभिलेख एवं बन्दोवस्त,
मध्य प्रदेश

कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोवस्त मध्य प्रदेश

दिनांक 3 अप्रेल 2017 से प्रारंभ होने वाले राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले अभ्यार्थियों की सूची

कमांक	नाम राजस्व निरीक्षक	पदस्थी जिला
1	2	3
1	श्री शिवराज सिंह यादव	झावुआ
2	श्री राहुल कनेरिया	झावुआ
3	श्री अनिल किराडे	झावुआ
4	श्री राजेश मण्डलोई	झावुआ
5	श्री अनुराग नाईक	झावुआ
6	कु0 सुषमा प्रसाद	वालाघाट
7	श्री अमन सिंह	बालाघाट
8	श्री मनोज कुमार पाण्डे	बालाघाट
9	कु0 स्वाती चौरसिया	शाजापुर
10	कु0 स्वाती शिववेदी	शाजापुर
11	श्री सूरजलाल सारीवान	शाजापुर
12	श्री अंकित अवस्थी	शाजापुर
13	श्री पंकज खत्री	हरदा
14	श्री लालू कुमार [illegible]रोले	हरदा
15	श्री सचीन्द्र चढार	हरदा
16	श्री अंकित शर्मा	हरदा
17	श्री मोहिनीश पटेल	मंदसौर
18	श्री रितेश पंडुरे	मंदसौर
19	कु0 सुष्मिता कण्डिक	मंदसौर
20	श्री यश निगम	मंदसौर
21	श्री अशोक कुमार शाह	वडवानी
22	श्री पंकज मेश्राम	वडवानी
23	श्री अभय प्रताप सिंह	वडवानी
24	श्री रूपक जैन	वडवानी
25	श्री अंकित मालवीय	रीवा
26	श्री सालकराम सिटोले	खण्डवा
27	श्री लाखन वघेला	रतलाम
28	श्री दिनेश टोकरे	रतलाम
29	श्री तरूण रघुवंशी	रतलाम
30	श्री गौरव कुमार	रतलाम
31	कु0 तनु जैन	अशोकनगर

32	कु0 मेधा शर्मा	गुना
33	कु0 निकता पंचरत्न	गुना
34	श्री विक्की कुमार	गुना
35	कु0 समीक्षा जैन	विदिशा
36	कु0 विभा गर्ग	छिन्दवाडा
37	कु0 आयुषी रिछारिया	दमोह
38	श्री नंदकिशोर गुप्ता	ग्वालियर

इसके अतिरिक्त अन्य जिले में यदि कोई नव नियुक्त उम्मीदवार राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु शेष है तो उसे भी इस प्रशिक्षण में भेजा जा सकता है।

आयुक्त
भू—अभिलेख एवं बन्दोवस्त
मध्य प्रदेश